प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: **45/2025** (अपील सूचना का अधिकार)
कुलदीप टांक एडवोकेट पता: 30, धोली बावड़ी, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 12/05/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 28.01.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/45/25/318–19 दिनांक 25.03.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार गिर्वा द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा ने जरिये पत्रांक: भू.अ./सू.अ.अ./2005/प्र.अ.स.45/25/448 दिनांक 09.04.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रकरण से संबंधित वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 435 दिनांक 08.04.2025 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। अब इस कार्यालय से प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाया जाना शेष नहीं है। अतः प्रकरण निरस्त करने का आदेश फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 435 दिनांक 08.04.2025 से सूचना उपलब्ध करवा दी गई है परन्तु अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये है। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट है। फिर भी यदि अपीलार्थी को पत्रावली पर उपलब्ध कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये है तो नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवायी जाये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा को निर्देशित किया जाता है कि यदि पत्रावली पर उपलब्ध कोई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जाना शेष है तो

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाये एवं की गई कार्यवाही से इस न्यायालय को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12-05-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर